न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभातीलाल जाट, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 16/2017

प्रार्थीगण :–

1. सुरेश कुमार पुत्र श्री घीसुलाल जी
2. ओमप्रकाश पुत्र घीसुलाल जी जाति घांची निवासी बालोतरा तह0 पचपदरा जिला बाडमे

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. आसुलाल पुत्र चिमनाजी
2. पेमाराम पुत्र सरूपाराम
3. मानाराम पुत्र अचलाजी
4. ओमप्रकाश पुत्र हबताजी
5. भवंरलाल पुत्र राणाजी सभी जातियान घांची निवासी बालोतरा तह0 पचपदरा
6. राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार पचपदरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0
बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :– 1. श्री रोहित सोंलकी प्रार्थीगण वकील

'आदेश'

दिनांक :– 11/5/18

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा रामसीन के पटवार हल्का क्षेत्र रामसीन मे खसरा न0 1100/21 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, ख0न0 1102/25 रकबा 3 बीघा, ख0न0 1104/264 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा कुल रकबा 9 बीघा 14 विस्वा अवस्थित है। प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर एकमात्र प्रार्थीगण का कब्जा कास्त है। विप्रार्थीगण सख्या 1 ता 5 उपरोक्त खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी है। विप्रार्थीगण स. 1 ता 13 बरसात के समय में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है।प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दिनांक 7.3.2017 को तलब किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन की प्राप्ति रसीदे व पोस्टल रसीदे पेश होने के बावलूद भी अनुपस्थित। अतः उक्त विप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाती है।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारी

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

APP-A
crim-I

...कार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना ...यसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगणकी दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि का पेमाईश एवं नेख्मबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक बालोतरा को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/ स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है । भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों भू–मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ ...)
सहायक कलेक्टर,
(एसडीओ) बालोतरा

Scanned by CamScanner